अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या– 70 /2016 दिनांक: दिसम्बर 26, 2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र संख्याः 66 / 16 दिनांक 12–11–2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों / निर्देशों का अनुपालन करने तथा रिट याचिकाओं में समयबद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में आप सभी को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस परिपत्र की प्रति मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष मेरे द्वारा दिनांक 01–12–2016 को शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 01–12–2016 में जो उल्लिखित किया है, निम्नवत् है :–

"We only hope and trust that this circular containing guidelines issued by Director General of Police is strictly adhered to in letter and spirit."

आप सभी भली–भॉति अवगत हैं कि मा0 न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना करना अवमानना की श्रेणी में आता है। मा0 उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि जो भी दिशा–निर्देश निर्गत किये जायें, उनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। दिसम्बर माह के अन्तिम सप्ताह में मा0 उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश रहेगा। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस अवकाश अवधि में मा0 न्यायालयों के आदेश / निर्णयों के सम्बन्ध में अभियान चलाकर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा रिट याचिका आदि के सम्बन्ध में जो भी रजिस्टर आदि हों, उनमें पृविष्टियॉ पूर्ण कराकर अपने परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक से अवश्य अवलोकन करा लें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्र से पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय स्तर पर रिट याचिकाओं से सम्बन्धित रजिस्टर कभी भी तथा किसी भी समय अवलोकनार्थ मंगाये जा सकते हैं।

शासकीय अधिवक्ता / मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय द्वारा यदि किसी प्रकरण में किसी विशेष अधिकारी को बुलाया जाता है तो वह अधिकारी समस्त अभिलेखों सहित उपस्थित होकर मा0 न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित

करेंगे। मा0 न्यायालयों के न्यायिक कार्य में सहयोग करना हम सभी का उत्तरदायित्व है।

आप सभी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों की दिन–प्रतिदिन समीक्षा करेंगे।

आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि : समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे निरीक्षण के समय मा0 न्यायालयों से सम्बन्धित रजिस्टर एवं प्रकरणों की भी समीक्षा करना सुनिश्चित करें तथा इनका अवलोकन भी करें।

2. समस्त परिक्षेत्र पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे प्रत्येक माह अपने परिक्षेत्र के जनपदों के रजिस्टरों का अवलोकन करेंगे तथा मा0 न्यायालयों के प्रकरणों में अपने स्तर से कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देश भी देंगे।

3. पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना), पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीनस्थ विधि अनुभाग में नियुक्त अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि वे मा0 उच्च न्यायालय में स्थापित शासकीय अधिवक्ता कार्यालय/मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क कर प्रतिदिनि कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे तथा यदि किसी प्रकरण में पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय लखनऊ से कोई कार्यवाही अपेक्षित है तो उसे विधि अनुभाग में नियुक्त पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाकर कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

4. पुलिस अधीक्षक, अनुभाग–10(विधि प्रकोष्ठ), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि वे मा0 न्यायालयों के प्रकरणों का अनुश्रवण कर समय से कार्यवाही सुनिश्चित करायें।